तेज झटका आया तो तबाही तय

भूकंप का आशंका

- पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप से सुधर सकते हैं हालात
- कुछ हिस्से को छोड़ पूरा यमुनापार है अनियोजित

आईपी एक्स. स्थित मधुविहार कॉलोनी का नजारा। जागरण

पूर्वी दिल्ली, जागरण संवाददाता : राजधानी में इस वर्ष सोमवार को चौथी बार भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। दिल्ली-एनसीआर में यदि तेज झटके आए तो भारी तबाही मच सकती है, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र भूकंप संभावित जोन-चार के अंतर्गत आता है, जहां धरती के अंदर की प्लेटें ऐसी हैं जो तेज भूकंप के झटके ला सकती हैं।

दिल्ली के दो-तिहाई इलाके को छोड़ दें तो पूरी राजधानी भवन निर्माण संबंधी मामले में सब-स्टैंडर्ड है। यमुनापार की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है, क्योंकि यहां पर अनधिकृत कालोनियों की संख्या अधिक है।

यमुनापार में अनधिकृत कालोनियों का जाल फैला है। 40 लाख से अधिक घनी आबादी वाले इस क्षेत्र में कुछ कालोनियों को छोड़ दें तो यहां सब-स्टैंडर्ड (निम्न स्तर) कालोनियों की भरमार है। जहां लोगों ने पहले रहना शुरू किया, योजनाएं बाद में बनीं। इन कालोनियों में यहां की अनधिकृत, शहरी व ग्रामीण कालोनियां, स्लम बस्ती, पुर्नवास कालोनियां व झुग्गी बस्ती आदि आती है। जैसे गांधी नगर, खजूरी खास, करावल नगर, भजनपुरा, गोकुलपुरी, सीलमपुर, जाफराबाद, वेलकम, ज़ौहरी पुर, सीमापुरी, मंडावली, लक्ष्मी नगर, न्यू उस्मानपुर, शकरपुर, शाहदरा, मानसरोवर पार्क आदि। वर्ष 84 में यमुनापार की 87 कालोनियां नियमित की गई थीं। लेकिन तब तक उत्तर पूर्वी जिले में अवैध कालोनियों की बाढ़ आ गई थी।

नियोजित विकास नहीं हुआ : आजादी के बाद बढ़ती राजधानी का फैलाव यमुनापार की ओर हुआ। नई दिल्ली क्षेत्र से एकदम पास होने की वजह से यमुनापार में अवैध कालोनियों का जाल फैलता गया। भू-माफियाओं, अधिकारियों, नेताओं, फाइनेंसरों व कालोनाइजरों का गठजोड़ अस्तित्व में आया। बाद में प्रापर्टी डीलर भी इस गठजोड़ में जुड़ गए। कालोनियां अवैध रूप से बसती गईं।

पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप से सुधार संभव : डीडीए के पूर्व टाउन प्लानर आरजी गुप्ता बताते हैं कि दिल्ली के अन्य इलाकों के मुकाबले यमुनापार में स्थिति अधिक खराब है। यहां भूकंप आने पर लोगों के पास उससे बचने के लिए खुली जगह तक नहीं है। उनका कहना है कि यमुनापार में री-प्लान, री-कंस्ट्रशन व री-डेवेलपमेंट की जरूरत है। जो केवल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ही संभव है। सरकार लोगों को बताए कि किस तरह काम करना है, जिससे हालतों में कुछ सुधार आएगा। उन्होंने बताया कि भूकंप, सुनामी आदि प्राकृतिक आपदाओं के बारे में लोगों को बार-बार जागरूक करना होगा।

समस्या का समाधान न करने पर होगी कार्रवाई : डीसी

भागीदारी बैठक

- बैठक में छाया रहा समस्याओं का समाधान न होने का मामला
- दिल्ली सरकार की ओर से नौ और 10 अप्रैल को प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा भागीदारी मेला

पूर्वी दिल्ली, जागरण संवाददाता : भागीदारी बैठक में जिस समस्या की चर्चा की जाती है, अगर बैठक में मौजूद अधिकारी आश्वासन देकर भी समस्या दूर नहीं करते, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह घोषणा पूर्वी जिला उपायुक्त आरके मिश्रा ने मंगलवार को कार्यालय परिसर में आयोजित भागीदारी बैठक में की।

बैठक में आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों के बीच समस्याओं का समाधान न हो पाने का मामला छाया रहा। भागीदारी बैठक में एडीएम बंशराज और एसडीएम उषा चतुर्वेदी सहित अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

भागीदारी बैठक की शुरुआत में जिला उपायुक्त आरके मिश्रा ने बैठक में मौजूद पूर्वी जिला के आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों को बताया कि दिल्ली सरकार की ओर से 9 और 10 अप्रैल को प्रगति मैदान में भागीदारी मेले का आयोजन किया जा रहा है। उसमें सभी आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की झलक दिखाने के लिए स्टॉल लगाने हैं। लोगों को स्टाल के माध्यम से बताया जाएगा कि उन्होंने भागीदारी के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्र में क्या सुधार किया। मेले में श्रेष्ठ भागीदार को पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा।

भागीदारी बैठक में जगतपुरी अनारकली गार्डन रेजीडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष एसबी सक्सेना ने कहा कि ज्यादातर अधिकारी भागीदारी बैठक में समस्या के समाधान का आश्वासन तो दे देते हैं, लेकिन कोई कदम नहीं उठाते। उनके क्षेत्र में सीवर जाम और नाले की सफाई की समस्या कई बैठकों में उठाई जा चुकी है। जल बोर्ड के अधिशासी अभियंता पीके त्यागी ने उन्हें आश्वासन के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया। इसी तरह की समस्याओं का समाधान न होने की बात अन्य आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने भी की। जिला उपायुक्त आरके मिश्रा ने जलबोर्ड के अधिशासी अभियंता पीके त्यागी को सोमवार तक कार्रवाई कर उसकी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।

उन्होंने बैठक में कहा कि अगर कोई अधिकारी भागीदारी बैठक में समस्या के समाधान का आश्वासन देकर कार्य नहीं करता, तो उसके खिलाफ शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में बलदेव पार्क आरडब्ल्यूए के राजीव शर्मा, जगतपुरी आरडब्ल्यूए अध्यक्ष गौरी शंकर शर्मा, शकरपुर स्कूल ब्लाक आरडब्ल्यूए अध्यक्ष जयपाल सिंह और गणेश नगर पांडव नगर कांप्लेक्स आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष एसबी सक्सेना भी मौजूद थे।